का॰ज्ञा॰सं॰ 12024/3/93-रा॰भा॰ (ख-2), दिनांक 15.4.1993

विषय :— राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का नियमित रूप तथा कारगर ढंग से आयोजन

संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित करने का निर्णय गृह मन्त्रालय के दिनांक 25.10.69 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 5/69/69-रा॰भा॰, के अंतर्गत लिया गया था । इसमें मन्त्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने उस संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करें, जिसे हिन्दी से संबंधित कार्य को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो।

2. मन्त्रालय/विभाग के विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपसचिव/अवर अचिव/अनुभाग अधिकारी इन समितियों में सदस्य के रूप में लिए जाएंगे और हिन्दी अधिकारी/सहा॰निदे॰/उ॰नि॰ आदि इन समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. उक्त समितियों की बैठकें प्रति तिमाही संबंधित मन्त्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में की जानी अपेक्षित है। इन समितियों में विचारार्थ मुद्दे इस प्रकार हैं :-

(क) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना-मन्त्रालय/विभाग के सभी अनुभागों/प्रभागों तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना।

(ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार करना।

(ग) विभिन्न पुरस्कार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों-हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण आदि के बारे में एवं हिन्दी दिवस/समारोह के आयोजन इत्यादि के बारे में विचार करना।

(घ) हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयां हों, उन्हें दूर करने के संबंध में विस्तृत कार्य करना।

(ङ) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर जारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाती हैं। [कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/10/79-रा॰भा॰ (क-1), दिनांक 20-9-79]

4. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में इन समितियों के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की समितियां सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी गठित की जाएं। (कार्यालय ज्ञा॰ सं॰ 4/41/70-रा॰भा॰ एकक, दिनांक 12.10.1970) मंत्रालयों /विभागों से यह भी अनुरोध किया गया कि कार्यालय विशेष के गठन को ध्यान में रखते हुए इन समितियों में उचित अनुपात में हिन्दीतर भाषी अधिकारियों को भी रखा जाए। [का॰ज्ञा॰सं॰ 1/14011/17/76-रा॰भा॰ (क-1), दिनांक 7-2-1977]

5. दिनांक 15-2-71 और 23-6-72 के का॰ज्ञा॰सं॰ 5/2/71-रा॰भा॰-एकक, के अनुसार जिन मंत्रालयों तथा कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की शाखाएं काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधि भी समितियों की बैठकों में आमंत्रित किए जाएं। इसी प्रकार हिन्दी शिक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए। [का॰ज्ञा॰सं॰ 1/14011/4/76-रा॰भा॰ (क-1), दिनांक 24.4.76] मंत्रालयों/विभागों से यह भी कहा गया कि इन समितियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के किसी एक सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाए। [का॰ज्ञा॰सं॰ 11/20034/4/79-रा॰भा॰ (क-2), दिनांक 19-4-79]

6. इन समितियों की बैठकों में राजभाषा-विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में परामर्श देते हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना भी राजभाषा विभाग द्वारा की गई है। इन कार्यालयों के अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लें और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उनको परामर्श दें।

7. यह देखने में आया है कि कतिपय मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता उचित स्तरीय नहीं होती और न ही उनकी बैठकें नियमित रूप से तीन माह के अंतराल पर होती हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12024/11/87-रा॰भा॰ (ख-2) दिनांक 21.1.88, भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त इन बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की जाती,

जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी के काम-काज की प्रगति की ठीक प्रकार से समीक्षा नहीं हो पाती। इन बैठकों में होने वाली चर्चा को और अधिक प्रभावी और परिणामपरक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं::—

(1) बैठकों का आयोजन नियमित रूप से प्रति तिमाही हो तथा बैठक की अध्यक्षता सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव स्वयं करें। यदि अपरिहार्य कारणवश वे अध्यक्षता न कर सकें, तो इसकी अध्यक्षता का भार किसी समकक्ष या उच्च अधिकारी को ही सौंपा जाए। संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि की रा-भा-का-सं- की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष करें।

(2) बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर प्रभागवार/अनुभागवार/कार्यालयवार विस्तृत रूप से चर्चा की जाए तथा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया जाए।

(3) बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व सभी संबंधितों एवं राजभाषा विभाग अथवा इसके संबंधित क्षे-का-का- को अवश्य भिजवा दी जाए। (यथासंभव फोन पर भी इसकी पुष्टि कर ली जाए)

(4) बैठक में मंत्रालय/विभाग के सभी प्रभागों का प्रतिनिधित्व, उपसचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर पर हो। संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में भी इसी प्रकार से सभी प्रभागों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

(5) बैठक का कार्यवृत्त समय पर जारी किया जाए और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र (अगली बैठक से पर्याप्त समय से पूर्व) कर ली जाए।

(6) सभी मंत्रालय/विभाग अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें भी उपर्युक्त प्रकार से आयोजित कराने की व्यवस्था करें। जिन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित न हुई हों, वहां इन समितियों को गठित कराने की कार्रवाई की जाए तथा इनकी अध्यक्षता कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी करें।

(7) संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के चौथे खंड में सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से कम हो या अधिक, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए और कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए। सरकार ने यह सिफारिश मान ली है। अत: अब सभी कार्यालयों में ये समितियां गठित की जानी अपेक्षित हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सभी मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। वे अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के ध्यान में भी इन्हें अनुपालनार्थ ला दें तथा दिए गए निदेशों की प्रति इस विभाग को भी भिजवाएं।